न्यायालय अति. जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, कोटपूतली (जयपुर)

बईजलास श्री विरेन्द्र सिंह (आर.ए.एस.) अति. जिला कलक्टर कोटपूतली

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र संख्या – 741/2012

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कोटपूतली जिला जयपुर

–प्रार्थी

बनाम

1. ताराचन्द पुत्र श्योनारायण जाति चमार निवासी केशवाना गुर्जर तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राजस्थान)

2. श्रीमती नाथी देवी धर्मपत्नि रामचन्द्र जाति हरिजन (भंगी) जरिये मुख्त्यार राधारमन पुत्र श्री वेकेंटेश्वर प्रसाद मिश्रा निवासी 221, अशोक नगर उदयपुर (राजस्थान)

–अप्रार्थी

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 एल.आर. एक्ट

निर्णय दिनांक : 27.1.16

पेरोकार सरकार ने उक्त रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 280/296–0.60 वाके मौजा केशवाना गुर्जर तहसील कोटपूतली जिसके साबिक खसरा नम्बर 130 वाके मोजा केशवाना गुर्जर तहसील कोटपूतली की आराजी राजकीय सिवायचक भूमि है एवं भूमि की किस्म गैर मुमकिन नदी है। उपरोक्त आराजी को तत्कालीन राजस्व अधिकारी कोटपूतली के द्वारा विधि विरूद्ध जाकर अप्रार्थीगण को उक्त गैर मुमकिन नदी/नाला/तालाब की भूमि का आवंटन कर दिया गया है। राजस्व रिकॉर्ड में भूमि की किस्म परिवर्तन कर अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज कर दी गई है। प्रार्थीगण को उक्त प्रकरण की जानकारी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशानुसार हाल व साबिक रिकॉर्ड का अवलोकन करने से हुई। उपरोक्त भूमि आराजी गैर मुमकिन नदी/नाला/तालाब की भूमि है एवं जिसमें किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को खातेदारी हक प्रदान नही किये जा सकते है। अप्रार्थीगण को उक्त आराजी में दी गई खातेदारी कानूनन गलत है एवं निरस्त किये जाने योग्य है। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त आराजी हाल खसरा नम्बर 280/296–0.60 वाके मोजा केशवाना गुर्जर तहसील कोटपूतली में से अप्रार्थीगण का नाम हटाया जाकर सम्पूर्ण आराजी को राजकीय भूमि सिवायचक/गैर मुमकिन नदी/नाला/तालाब दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तल्ब किया गया। जिस पर अप्रार्थी मय अधिवक्ता उपस्थित आकर जबाब मय दस्तावेज प्रस्तुत कर कथन किया कि मुताबिक मिलान क्षेत्रफल आराजी हाल खसरा नम्बर 280/296 मूल खसरा नम्बर 280 से बना है जिसके साबिक खसरा नम्बर 129, 130 वाके मोजा केशवाना गुर्जर से बने है तथा आराजी साबिक खसरा नम्बर 130 का कुल रकबा 37 बीघा 14 बिस्वा होता है। उपरोक्त आराजी का मान्य उच्च न्यायालय के आदेशानुसार आवंटन सलाहकार समिति द्वारा ताराचन्द को आवंटन किया गया था एवं वरवक्त आवंटन भूमि की किस्म बंजड थी तथा उक्त भूमि

आदेशो को निरस्त कराये बिना उपरोक्त रेफरेन्स प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है तथा मान्य उच्च न्यायालय के आदेशो के विरूद्ध रेफरेन्स की सुनवाई का अधिकार न्यायालय श्रीमान को नही है। इसलिए उक्त रेफरेन्स प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने उभय पक्षो की बहस सुनी। पेरोकार सरकार ने प्रकरण में उपरोक्त रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु इस्तदुआ की।

वकील अप्रार्थी ने पेरोकार सरकार के कथनो का विरोध करते हुये कथन किया कि प्रकरण में विचाराधीन आराजी का मान्य उच्च न्यायालय राजस्थान के आदेशानुसार आवंटन किया गया है तथा उक्त खसरा नम्बर मुताबिक मिलान क्षेत्रफल साबिक खसरा नम्बर 129, 130 दोनो से मिलकर बना है एवं प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा उक्त रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में यह कही भी जाहिर नही किया कि उक्त हाल आराजी में साबिक खसरा नम्बर 129 का कितना रकबा है तथा 130 का कितना रकबा है। उपरोक्त तथ्यो को बिना स्पष्ट किये उक्त प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है इसके अलावा साबिक खसरा नम्बर 130 केशवाना गुर्जर का रकबा अन्य खसरा नम्बरान में पूर्व में ही पूर्ण हो चुका है। इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। इस बाबत मान्य राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय आर.आर.टी. 2010 (2) पेज 1200 में माननीय उच्च न्यायालय ने यह जाहिर किया है कि राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय के सम्बन्ध में कलक्टर धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स करने हेतु सक्षम नही था क्योकि वह उससे अधीनस्थ प्राधिकारी नही है।

हमने उभय पक्षो की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज मिलान क्षेत्रफल से यह जाहिर है कि हाल खसरा नम्बर 280 साबिक खसरा नम्बर 129, 130 से मिलकर बना है मुताबिक मिसल हैकियत साबिक खसरा नम्बर 129 टीबा है तथा साबिक खसरा नम्बर 130 नदी की भूमि अंकित है। परन्तु मिलान क्षेत्रफल तथा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र से यह जाहिर नही है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 280 में साबिक खसरा नम्बर 129 का कितना रकबा समायोजित है तथा साबिक खसरा नम्बर 130 का कितना रकबा समायोजित है इसके अलावा रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में उक्त तथ्य अंकित है कि मान्य उच्च न्यायालय के आदेशानुसार दिनांक 15.09.2007 को उक्त भूमि का आवंटन किया गया है। पत्रावली में तहसीलदार कोटपूतली ने यह जाहिर नही किया कि उपरोक्त रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने से पूर्व उन्होने विधि विभाग से विधि परामर्श लिया है अथवा नही।

अतः तहसीलदार कोटपूतली द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त रेफरेन्स प्रार्थना पत्र इस निर्देश के साथ लौटाया जाता है कि तहसीलदार कोटपूतली विधि विभाग से मान्य उच्च न्यायालय से पारित आदेश की अनुपालना में किये गये आवंटन बाबत उक्त खसरा नम्बर का रेफरेन्स करने हेतु विधि परामर्श लेने के उपरान्त हाल व साबिक रिकॉर्ड व नक्शे का अवलोकन करने के उपरान्त उक्त हाल खसरा नम्बर 280/296 में जितना रकबा साबिक खसरा नम्बर 130 गैर मुमकिन नदी वाके मौजा केशवाना गुर्जर का समायोजित हुआ है उसी अनुसार सम्पूर्ण रिकॉर्ड व तथ्यो के साथ पुनः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 27.1.16 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।